

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/वि.पं./वीएस/डीईएस/2018/ 152

दिनांक: 09/04/2019

जिला विवाह पंजीयन अधिकारी एवं
कलैक्टर,
जिला.....

विषय:- सामूहिक विवाह सम्मेलन में होने वाले विवाहों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 की धारा 3 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में अनुष्ठापित होने वाले प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य किया गया है। राज्य में विभिन्न समाजों एवं संस्थाओं द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है, ऐसे आयोजनों में होने वाले विवाहों का पंजीकरण सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार कार्यवाही करवाने का श्रम करावे:-

1. सामूहिक विवाह आयोजन की स्वीकृति संबंधित उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) द्वारा जारी की जाती है। कृपया उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित करवाने का श्रम करावे कि स्वीकृति की एक प्रति जिला नोडल अधिकारी (विवाह पंजीयन) एवं उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जावे।
2. जिला नोडल अधिकारी (विवाह पंजीयन) एवं उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग सामूहिक विवाह आयोजन की स्वीकृति की प्रति संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को उपलब्ध करवायेगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में होने वाले विवाहों का रजिस्ट्रेशन कर प्रमाण पत्र जारी किये जावे।
3. रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को सामूहिक विवाह आयोजन की सूचना आयोजक संस्था अथवा समाज द्वारा भी दी जा सकती है।
4. रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) सामूहिक विवाह की सूचना प्राप्त होने अथवा संज्ञान में आने की स्थिति में आयोजक संस्था से सम्पर्क कर वैवाहिक जोड़ों के विवाह रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, वर वधु एवं गवाहों के शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु लिखित में सूचित करेगा।
5. राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण 2009 की धारा 8 में रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन)को ज्ञापन प्रस्तुत करने का कर्तव्य विवाह के पक्षकार/माता-पिता/संरक्षक का है, इसी के साथ अधिनियम की धारा 9 में स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार पूर्ण ज्ञापन प्राप्त होने पर विवाह का रजिस्ट्रीकरण कर उस व्यक्ति को, जिसने ज्ञापन प्रस्तुत किया है, विवाह का प्रमाण पत्र जारी करेगा। चूंकी सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किसी संस्था अथवा समाज द्वारा किया जाता है जो सम्मेलन में हुए विवाहों का संरक्षक है। अत रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) संस्थान के माध्यम से प्रस्तुत विवाह आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों की पूर्ण जांच करेगा।

6. दस्तावेजों की जाँच उपरान्त रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) सम्मेलन स्थल पर उपस्थित होकर वर एवं वधू की पहचान सुनिश्चित करेगा एवं विवाह रजिस्ट्रेशन हेतु अन्य सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करेगा।
7. वर वधू के आयु प्रमाणीकरण हेतु जन्म प्रमाण पत्र, 10 वी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र, अथवा 8वी/5वी की अंकतालिका, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड या ड्राईविंग लाईसेंस जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, में से कोई भी एक दस्तावेज मान्य होगा।
8. विवाह के पक्षकारों की अनुपस्थिति में विवाह के साक्ष्य के रूप में विवाह पंजीकरण रजिस्टर में संस्थान के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर लिये जावेगे। संस्थान के अध्यक्ष/सचिव से शपथ पत्र लिया जावे कि संस्था सभी जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध करवायेगी एवं समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी।
9. रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) नियमानुसार विवाह का पंजीकरण करेगा एवं संस्थान को विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध करवायेगा।
10. किसी कारण से सामूहिक विवाह सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन नही करवाने वाले विवाह के पक्षकार राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार विवाह पंजीकरण करवा सकते हैं।

भवदीय,



(डॉ० ओम प्रकाश बैरवा)

महा रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ13/1/3/वि.प./वीएस/डीईएस/2018/153-155

दिनांक: 09/04/2019

प्रतिलिपी:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विवाह पंजीयन अधिकारी एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला
2. जिला नोडल अधिकारी (विवाह पंजीयन) एवं उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला
3. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,


संयुक्त निदेशक (जीवनांक)